की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होनें के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का सतुंलन :-** चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रत्येक सहखातेदारी अपने हक हिस्से तक ऐसी सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जा माना जाता हैं। लिहाजा यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति :-** चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है साथ ही वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाये अविभाजित भूमि का बैचान, हस्तांतरण, इकरार किया जाता है। तो वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति तथा प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन् में जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है। जिसकी अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ही होना स्वाभाविक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें सहखातेदारान् के मध्य मौके की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होनें के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू उभयपक्षकारान् के पक्ष में साबित होता है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान् को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण एवं एक-दूसरे के कब्जे-काश्त में दखलदांजी न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निर्ष्कषतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- फूलमाल, पटवार हल्का- फूलमाल, तहसील जैतारण के खसरा नंबर 215/16 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का बैचान, हस्तान्तरण नहीं करें एवं एक-दूसरे के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक **24/04/2025** को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)